




पटना नगर निगम कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के पत्रांक-5916, दिनांक-13.06.2022 से प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार राज्य में कोविड-19 के प्रसार एवं संक्रमण की दर में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप पटना नगर निगम के सभी कार्यालयों में अवस्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति अगले दो सप्ताह तक अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है। परन्तु सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना उपस्थिति अपने शाखा के उपस्थिति पंजी में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक-EST/IVE/217/2018/2020-8204-----/प.न.नि., पटना, दिनांक-16/06/2022.
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कर्मी...../सभी अपर नगर आयुक्त/ सभी उप
नगर आयुक्त/ नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ मुख्य नगर अभियंता/ विशेष कार्य
पदाधिकारी/ निदेशक शहरी योजना/ विधि पदाधिकारी/निगरानी पदाधिकारी/भू-सम्पदा
पदाधिकारी/ नगर सचिव/प्रथम अपीलीय/लोक शिकायत/जन शिकायत/ सभी नोडल
पदाधिकारी/ निबंधक, जन्म मृत्यु/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी कार्यपालक
अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, पी0आई0यू0/कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल/ प्रशाखा
पदाधिकारी, स्थापना, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


नगर आयुक्त
पटना नगर निगम